उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

संख्या- 32 /08/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/08-परीक्षा/2024
लखनऊः दिनांक 16 मार्च, 2024

शुद्धि-पत्र

आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, **अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08** के अंतर्गत विभिन्न **विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता (सिविल)/ सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल) के 2819 पद (सामान्य चयन)** व **अवर अभियंता (सिविल) के 28 पद (विशेष चयन) सहित कुल रिक्त 2847 पदों** पर चयन हेतु दिनांक 07-03-2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि 07-05-2024, शुल्क जमा करने/ आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 07-06-2024 तथा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 14-06-2024 निर्धारित है।

विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, **अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08** के बिन्दु संख्या-04 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/ बढ़ सकती है। तदनुक्रम में पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित विभागों के नियंत्रणाधीन **अवर अभियन्ता (सिविल) के 368 पद (सामान्य चयन) + अवर अभियन्ता (सिविल) के 801 पद (विशेष चयन) = 1169** पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। **इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल 4016 [3187 (सामान्य चयन) + 829 (विशेष चयन)] पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी।**

1- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण-

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
01	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	रू0 35400-112400 लेवल-6	182	33	00	81	32	328	स्थायी

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
02	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	9300-34800 (ग्रेड-पे रू0 4200)	16	09	01	10	04	40	स्थायी
03	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल) **(विशेष चयन)**	रू0 35400-112400 लेवल-6	-	247	-	473	-	720	स्थायी
04	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अवर अभियंता (सिविल) **(विशेष चयन)**	9300-34800 (ग्रेड-पे रू0 4200)	-	43	06	32	-	81	स्थायी
कुल पद				**198**	**332**	**7**	**596**	**36**	**1169**	

2- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण-

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तताः	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थताः	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
01	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	06	04 (L.V.)	05 (H.H.)	04 (O.A., O.L.)	--	--	16	65	06

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता:	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता:, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता:	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता:, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता: के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
02	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	--	01 (B., L.V.)	00 (D., H.H.)	00 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V., M.Dy.)	--	--	02	08	00
03	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल) **(विशेष चयन)**	14	10 (L.V.)	09 (H.H.)	09 (O.A., O.L.)	--	--	36	144	14
04	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अवर अभियंता (सिविल) **(विशेष चयन)**	01	01 (B., L.V.)	01 (D., H.H.)	01 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V., M.Dy.)	--	--	04	16	01
कुल पद			**21**	**16**	**15**	**14**	**--**	**--**	**58**	**233**	**21**

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- B. (बी)- Blind (दृष्टिहीनता)
- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- D. (डी0)- Deaf (बधिर)
- H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में ह्रास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)
- M.Dy. (एम0डीवाई0)- Muscular Dystrophy (पेशीय दुष्पोषण)

3- अर्हतायें-

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
01	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सिविल अभियंता (अधीनस्थ) सेवा नियमावली-1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2003) के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता (सिविल) के पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होनी आवश्यक है- **(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा** **या** **(ख) उत्तर प्रदेश, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा** **या** **(ग) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र** **या** **(घ) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त 3 वर्ष का डिप्लोमा।** अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सिविल अभियंता (अधीनस्थ) सेवा नियमावली-1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2003) के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- **1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो** **3- प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,** टिप्पणी:- **ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, की वर्षवार सूची विभाग द्वारा अनुरक्षित की जायेगी, पूर्व में प्रशिक्षित व्यक्ति को बाद में प्रशिक्षित व्यक्ति से ज्येष्ठ माना जायेगा, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षणार्थियों में से भी पूर्व प्रशिक्षित व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा।**
02	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)**- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथासंशोधित) की अनुसूची-8 एवं अनुसूची-9 के नियम-8 एवं नियम-14 के अनुसार सेवा में **अवर अभियंता (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास **राज्य सरकार या प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियन्त्रण में डिप्लोमा** होना आवश्यक है।

(Shivey)

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
			<u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथासंशोधित) के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को अन्य शर्तों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने- **1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

<u>4- आयु-</u>

क्रं.सं.	**विभाग का नाम**	**पदनाम**	**आयु-सीमा**
01	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	सेवा में **अवर अभियंता (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञप्ति की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय: परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो प्रशिक्षणार्थी है, उच्चतर आयु 01 वर्ष अधिक होगी।
02	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथासंशोधित) एवं शासनादेशानुसार सेवा में **अवर अभियन्ता (सिविल)** पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु- 1- ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसमें विकास प्राधिकरण की किसी सेवा में एक वर्ष या अधिक की सेवा पहले ही कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष, जितनी उसने निरन्तर सेवा की हो या सात वर्ष की अवधि के लिए, इसमें जो की कम हो, अधिक होगी। 2- ऐसा अभ्यर्थी जो अपनी आयु के सम्बन्ध में ऐसे किसी वर्ष में जिसमें कोई चयन न किया जाए किन्तु कोई रिक्त रही हो, किसी चयन में उपस्थिति होने के लिए हकदार या, अपनी आयु के सम्बन्ध में अगले चयन में उपस्थिति होने के लिए हकदार समझा जाएगा। 3- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

क्रं.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु-सीमा
			सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकती है यदि वह उचित व्यवहार के हित में या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।

5- चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रकिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुआ हो) तथा **विज्ञापित पदों की संगत सेवानियमावलियों एवं सुसंगत शासनादेशों, जिनका उल्लेख बिन्दु-03 एवं 04 में अंकित तालिकाओं में किया गया है, के आधार पर की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।**

सूच्य है कि यह शुद्धि-पत्र आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, दिनांक 07-03-2024 के अनुक्रम में है। इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, चयन का आधार एवं विहित शर्तें व अनुदेश वहीं रहेगें, जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किये गये हैं।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा/ आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

(अवनीश सक्सेना)
सचिव।